

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

संदर्भ सं.

एनएचपीसी कार्यालय परिसर
.....

सेवानिवृत्त कर्मचारी / उसका पति/पत्नी और मृतक कर्मचारी का पति/पत्नी / बच्चों को
सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत प्राधिकार - पत्र

सेवा में,
मैडिकल सुपरिटेण्डेंट,
.....
.....

विषय : श्री/श्रीमती..... की अंतरंग (इंडोर) चिकित्सा ।

प्रिय चिकित्सक,

हम आभारी होंगे यदि आप सीधे भुगतान योजना के तहत श्री / श्रीमती.....को उपचार के लिए अपने अस्पताल में भर्ती कर लें (संलग्न चिकित्सा पहचान-पत्र की फोटोप्रति से पहचान करें) । **आपसे अनुरोध है कि उपचार के पश्चात्, संलग्न फोटोप्रति वाले चिकित्सा पहचान पत्र पर अंकित संबंधित रोगी को सत्यापित कर उसकी पुष्टि करते हुए हमें इस पहचान पत्र को अंतिम बिल के साथ वापस कर दें ।**

2. यदि भूतपूर्व कर्मचारी या उसका पति/पत्नी और मृतक कर्मचारी का पति/पत्नी / बच्चों, प्रत्यक्ष भुगतान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होते समय अपनी पात्रता श्रेणी से उच्चतर श्रेणी का कमरा लेता है तो उनके द्वारा उच्चतर श्रेणी के विकल्प के कारण प्रभारों के अंतर, टेलीफोन / भोजन प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान उनके अथवा उनका पति/पत्नी या मृतक कर्मचारी का पति/पत्नी / बच्चों द्वारा अस्पताल को सीधे किया जाएगा । एनएचपीसी को दिए जाने वाले बिल से पूर्व उच्चतर श्रेणी के कमरे को उपलब्ध कराने कारण समायोजन / वसूली करने में पश्चात्, प्रेषित किया जाना चाहिए ।

3. रोगी के उपचार हेतु बिल को सीधे प्राधिकार पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भेजा जाए, जैसा भी मामला हो । भर्ती के लिए रोगी के अन्य ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. रोगी का नाम : _____
(क) चिकित्सा कार्ड नम्बर : _____
2. भूतपूर्व कर्मचारी का नाम और रोगी : _____
से उसका संबंध : _____
3. सेवानिवृत्ति / वीआरएस / मृत्यु आदि : _____
के समय कर्मचारी संख्या तथा : _____
पदनाम : _____
4. भर्ती के लिए हकदारी की श्रेणी : _____

सधन्यवाद,

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)